JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA,UDIYAKALA,

DISTT- KABIRDHAM (C.G.)

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF EDUCATION), GOVERMENT OF INDIA

PIN-491995 –(PHONE)-07741-209400-209401- (fax)

email . jnvkabirdham@gmail.com

दिनॉक : - ________2018

क्रंमाकः – निविदा / 2018.19 /

सी. एस. नं.: – ....

प्रति,

मेसर्स ....,

....

....,

....

विषयः – ....सामाग्री की आपूर्ति हेतु निविदा पत्र।

01. सलग्न प्रपत्र में अंकित वस्तुओं / सामग्रियों की आपूर्ति हेतु नवोदय विद्यालय समिति क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल की ओर से अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनॉक **21.06.2018 को सांय 04.00** बजे तक सील बंद निविदांए आमंत्रित की जाती हैं। निविदा पत्र निर्धारित तिथि **22.06.2018** को **शाम 04.00 बजे** विद्यालय कार्यालय में खोले जावेगें।

02. निविदाएं निविदा पत्र में निर्दिष्ट नियम एंव शर्ते अनुच्छेद 03 से 27 तक के अनुरूप प्रस्तुत करना चाहिए। जब तक निविदा में किसी तरह का विशेष उल्लेख नही किया जाता तो अधोलिखित शर्तें स्वंय सहमत मानी जावेगी।

03. निविदा दरें विद्यालय तक एफ. ओ. आर. साथ में जी. एस. टी., उत्पाद कर, विक्रय कर, वेट व अन्य देय कर सम्मिलित होना चाहिए। नवोदय विद्यालय किसी प्रकार का टेक्स या भाड़ा आदि का भुगतान नही करेगा।

04. **निविदा प्रपत्र में किसी तरह की दोहरी लिखावट, सुधार आदि नही होना चाहिए**। यदि मूल्य में किसी तरह की कांट– छांट, संशोधन करना हो तो घेरा कर संशोधित दर को स्पष्टतः लिखकर दिनॉक सहित हस्ताक्षर करके प्रमाणित करें, बिना हस्ताक्षर के प्रमाणिकरण के निविदा निरस्त की जा सकती है।

05. अधोहस्ताक्षरकर्ता न्यूनतम दरें स्वीकृत करने को बाध्य नहीं है, और अधोहस्ताक्षरकर्ता को निविदा को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार है। निविदा प्रपत्र में

अंकित संपूर्ण या एक या एक से अधिक सामग्रियों की निविदाएं जैसा भी वह निर्णय करें, स्वीकारनें या निरस्त करने का अधिकार होगा।

06. निविदा स्वीकृत होने पर यह एक अनुबंध होगा और निविदा दाता नियम व शर्तों के पालन हेतु बाध्य होगा। और जी. एफ. आर. का पालन अनिवार्य होगा।

07. निविदा दाता द्वारा निविदा के साथ **निर्धारित अमानत राशि (ई. एम. डी.) का बैंक ड्राफ्ट जो कि प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय कवर्धा जिला कबीरधाम छ. ग. के पक्ष में देय होगा,** अनिवार्य रूप से जमा करना चाहिए। यह अमानत राशि बाद में निविदा अस्वीकृत होने या स्वीकृत होने पर अनुबंध की निर्धारित समयावधि पूर्ण होने पर वापस कर दी जाएगी। अनुबंध की शर्तो का उल्लघंन करने पर यह अमानत राशि जप्त कर ली जाएगी।

08. यदि निविदा दाता निर्धारित समय में सामग्री आपूर्ति करने में असफल हेाता है तो अधोहस्ताक्षरकर्ता बाजार से क्रय करने और शेष अनुबंध दूसरे फर्म से पूरा करने के लिए स्वतंत्र है, तथा अंतर की राशि को जमा अमानत / सुरक्षा राशि अथवा भुगतान से काटने हेतु स्वतंत्र है। शेष राशि उसे वापस कर दी जाएगी। अंतर की राशि अधिक होने पर निविदा दाता द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को भुगतान करना होगा।

09. सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। उसके लिए कोई कारण बताने की आवश्यकता नही है।

10. निविदा स्वीकृत करने के लिए अधोहस्ताक्षरकर्ता को सामग्री का नमूना निविदा दाता से मांगने का पूर्ण अधिकार है और निविदा दाता को नमूना प्रदर्शन बिना किसी शुल्क के जमा करना होगा जिसे अनुबंध की समयावधि पूर्ण होने तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में रखा जाएगा जिससे सामग्री की आपूर्ति के समय मिलान किया जा सके। नमूना न प्रस्तुत किए जाने कि स्थिति पर निविदा दाता की निविदाएं अस्वीकृत की जा सकती है।

11. निविदा दाता द्वारा अंकित दरें 30.04.2019 तक मान्य होगी। ब्रांन्ड वाली सामग्री के साथ पैकेट में यदि कोई निःशुल्क उपहार योजना है, तो उसे निविदा दाता को सामग्री के साथ निःशुल्क देना होगा और उसे बिल में भी अंकित करना होगा।

12. निविदा स्वीकृत होने पर और आपूर्ति आदेश देने के स्थिति में आपूर्ति की गई सामग्री का परीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ता / प्रतिनिधि द्वारा किया जाएगा और सामग्री अनुमोदित नमूनों के अनुरूप न होने पर अस्वीकार कर दी जावेगी।

13. फर्नीचर के मामले में प्रयुक्त लकड़ी केवल समुचित टीक वुड (सागौन) की ही प्रयुक्त होगी। प्रयुक्त लकड़ी में 10 प्रतिशत से ज्यादा गैप नही होना चाहिए। निविदा दाता को आपूर्ति किए गए फर्नीचर में धातु की प्लेट में उसका नाम व निर्माण वर्ष अंकित करना होगा।

14. अमानत राशि सामग्री आपूर्ति से 6 माह तक विद्यालय समिति द्वारा सुरक्षित रखी जाएगी। ताकि क्रय की गई सामग्री में इस अवधि के दौरान यदि कोई खराबी आदि होती है तो उसकी छतिपूर्ति की जा सके। यह शर्त दीर्घ कालिक उपयोगी सामग्री हेतु होगी।
15. निविदा प्रपत्र में दी गई सामग्री जिस कम्पनी/मार्का का नाम दिया गया है उसी कम्पनी/मार्का की सामग्री दी जाये। अन्य कम्पनी की दरें देने पर उसे निरस्त माना जाएगा।
16. जो निविदा उपरोक्त शर्तो के अनुरूप नही होगी उसे निरस्त कर दिया जाएगा।
17. निविदा दाताओं से अपेक्षा की जाती है कि समस्त सामग्रियों का मूल्य भरा जाए, अन्यथा अस्वीकार किया जा सकता है ।
18. क्रय समिति आवश्यक समझे, दरें बाजार मूल्य से अधिक ज्ञात हो तो सामग्री के मूल्यों पर सौदेबाजी (निगोशियेसन) हेतु सभी निविदा दाताओं को बुला सकती है और सभी निविदा दाताओं को भाग लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनकी निविदाएं अस्वीकृत कर दी जा सकती है।
19. निविदा दाता द्वारा दर्शाए गए फर्म का पता स्पष्ट होना चाहिए। देखा जाता है कि निविदा दाता दुकान का रजिस्ट्रेशन करवा के निविदा प्राप्त कर लेता है लेकिन वास्तव में उसकी कोई दुकान या फर्म नहीं होती है। दुकान/फर्म न होने की स्थिति में निविदा निरस्त की जा सकती है।
20. मुहर बंद निविदा में निम्न दस्तावेज अनिवार्यतः संलग्न होना चाहिए।

1. वर्तमान आयकर / विक्रय कर व अन्य भुगतान कर संबंधी सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र।
2. अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट ।
3. न्यूनतम दरें व आपूर्ति नियम।
4. उपकरण आपूर्ति संबंधी मुद्रित मूल्य सूची व विवरणिका।
5. अधिकृत डीलर होने का / निमार्ता / निविदा दाता का अधिकार पत्र।
6. अधिकृत व्यक्ति के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर दिनॉक सहित।
7. **फर्म का जीएसटी, टिन नंबर होना अनिवार्य है, प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।**

21. सील बंद लिफाफे पर सामग्री आपूर्ति का नाम लाल इंक से अंकित करें साथ में डी. डी. नंबर एंव अमानत राशि स्पष्ट लिखें।
22. कंपनियों द्वारा सामग्रियों के बिक्री के साथ दी जाने वाली उपहार सामग्रियों को निःशुल्क देना होगा तथा कंपनियों द्वारा निर्मित सामग्री में उनके एगमार्क/आई.एस.आई. मार्क का होना आवश्यक है। आपूर्ति के समय सामग्रियों के वजन हेतु स्वीकृत दर इकाई से कम वजन के पैकेट/ पैक स्वीकार्य नही होगें। **एमआरपी से ज्यादा मूल्य स्वीकार नहीं होगी ।**
23. सिलाई कार्य निविदा स्वीकृत होने के एक माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा अन्यथा विलम्ब की स्थिति में 500:00 (पांच सौ रूपये) प्रति दिन काटे जाएंगे।

24. सेम्पल पूर्व में या निविदा खुलने के दिन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा बिना सेम्पल के निविदा रद्द कर दी जावेगी ।

25. विद्यालय द्वारा निविदा प्रपत्र में दर्शाई गई ब्राण्ड / कंपनी की सामग्री प्राप्त न होने पर उसे तुलनात्मक विवरण में शामिल नहीं किया जायेगा ।

26. निविदा प्रपत्र व्यक्तिगत उपस्थित होकर कार्यालय में रखे निविदा बाक्स में जमा कर सकते है या पंजीकृत डाक द्वारा समय सीमा के अंदर प्रेषित कर सकते है विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा ।

27. विद्यालय द्वारा जारी सामग्री सूची में ब्राण्ड / मार्क में परविर्तन न करें ।

प्राचार्य
जवाहर नवोदय विद्यालय
उडियाकला जिला – कबीरधाम छ. ग.

अमानत राशि का विवरण इस प्रकार है ।

क्र	वस्तु /सामग्री का नाम	प्रतिभूति राशि
01	खाद्य सामग्री भोजनालय	20000/–
02	सब्जी एवं फल	10000/–
03	डेली नीड्स,	2000/–
04	अण्डा,चिकन, मटन	5000/–
05	स्वीट्स	2000/–
06	बिजली , प्लम्बिग, हार्डवेयर	2000/–
07	मेडिसिन	500/–
08	कार्यालय एव छात्र स्टेशनरी	5000/–
09	बर्तन	2000/–
10	स्पोर्टस एवं संगीत सामग्री	5000/–
11	मरम्मत एव रखरखाव, रंगाई पोताई	2000/–
12	यूनीफार्म सिलाई	1000/–
13	यूनीफार्म सामग्री	5000/–
14	बिछावन सामग्री	5000/–
15	टॉयलेट सामग्री	5000/–
16	कम्पयुटर रिपेरिंग एव स्टेशनरी	2000/–
17	बालकटिंग	0.00/–
18	कपड़ा प्रेस एवं धुलाई	0.00
19	चार पहिया वाहन	10000/–
20	फर्नीचर	10000/–

<u>घोषणा पत्र</u>

निविदा दाता / आपूर्ति कर्ता का घोषणा पत्र

मैं / हम / मेसर्स .... पैरा में अंकित शर्त क्रंमाक 03 से 27 व विद्यालय समिति द्वारा निर्धारित माप दण्ड के अनुरूप दरें अपने मुद्रित लेटर पेड में संलग्न करता हूॅं / करते है।

साक्ष्य हस्ताक्षर कर्ता का नाम एंव पता ....

01 .... (हस्ताक्षर फर्म का नाम एंव पत्र व्यवहार का पूरा पता सहित

02 .... प्रतिष्ठान की मोंहर)